

प्र० वि० वि०

क० 3/11/15
कार्यालय

3/11/15
n/a

3/11/15

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स द्वा. पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 27 जून, 2015 ई० (आषाढ़ 6, 1937 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

संख्या 418/एल०ए०सी०/एच०क्यू०

08 जून, 2015 ई०

नोटिस

[उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस]

कन्नौज शहर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् ने जनपद कन्नौज में "कन्नौज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 कन्नौज" कानपुर फर्सखाबाद जी०टी० रोड पर प्रस्तावित की गयी इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् हैं—

उत्तर— खसरा संख्या 188 भाग, 191 ग्राम ताजपुर नौखास्त, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज।

पूर्व— खसरा संख्या 193, 197, 205, 203, 202, 200, 201, 202, 204, 207, 194 ग्राम ताजपुर नौखास्त, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज। खसरा संख्या 27, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 57 भाग, ग्राम युसुफपुर भगवान, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज।

दक्षिण— खसरा संख्या 41, 57 भाग, 58, 59, 70 ग्राम गदनपुर बड़ड़, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज। खसरा संख्या 431 ग्राम मौसमपुर मौरारा, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज। खसरा संख्या 369, 368, 370, 373, 374 भाग, 377, 378, 380, 383, 394, 395, 396 ग्राम गदनपुर बड़ड़, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज। खसरा संख्या 423, 424, जी०टी० रोड ग्राम मौसमपुर मौरारा, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज।

पश्चिम— खसरा संख्या 421, 420, 419 ग्राम, मौसमपुर मौरारा, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज। खसरा संख्या 259, 260, 261, 351, 350, 266, 265, 264, 251 भाग, 245, 246, 217, 218, 215, 206 भाग, 205, 201, 194, 193, 192, 191, ग्राम गदनपुर बड़ड़, परगना व तहसील कन्नौज, जनपद कन्नौज।

यह घोषणा की जाती है कि जब परिषद् की राय में उपरोक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र किसी की भूमि जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा तो योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भूमि के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार देना होगा।

3/11/15-10-A

35 ट

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई, कन्नौज, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, कन्नौज में से किसी भी कार्य-दिवस को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ०प्र० सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियाँ कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र०, आवास एवं विकास परिषद् 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई, कन्नौज, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, कन्नौज में प्राप्त की जायेंगी। प्रेषित प्रत्येक आपत्तियों में सही-सही योजना का नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ताओं की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल व अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

शहाबुद्दीन मोहम्मद,
आवास आयुक्त।

U.P. HOUSING & DEVELOPMENT BOARD, LUCKNOW
(LAND ACQUISITION SECTION)

No. 418/L.A.C./H.Q.

June 08, 2015

NOTICE

Notice under section 28 of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no. 1 of 1966).

The U.P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a Scheme called "Kannauj Bhoomi Vikas Evam Grihsthan Yojna no. 2, District Kannauj" on Kanpur, Farrakhabad G.T. Road. The Boundaries of the area comprised in the Scheme are as follows :

- North-* Khasra no. 188 Bhag, 191 Village Tajpur Naokhast, Pargana and Tahsil Kannauj, District Kannauj.
East- Khasra nos. 193, 197, 205, 203, 202, 200, 201, 202, 204, 207, 194 Village Tajpur Naokhast, Pargana and Tahsil Kannauj, District Kannauj. Khasra nos. 27, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 57 Bhag Village Usufpur Bhagwan, Pargana and Tahsil Kannauj, District Kannauj.
South- Khasra nos. 41, 57 Bhag, 58, 59, 70 Village Gadanpur Baddu, Pargana and Tahsil Kannauj, District Kannauj. Khasra no. 431 Village Maosampur Maorara, Pargana and Tahsil Kannauj, Distt. Kannauj. Khasra nos. 369, 368, 370, 373, 374 Bhag, 377, 378, 380, 383, 394, 395, 396 Village Gadanpur Baddu, Pargana and Tahsil Kannauj, District Kannauj. Khasra nos. 423, 424, (G.T. Road) Village Maosampur Maorara, Pargana and Tahsil Kannauj, District Kannauj.
West- Khasra nos. 421, 420, 419, Village Maosampur Maorara, Pargana and Tahsil Kannauj, District Kannauj. Khasra nos. 259, 260, 261, 351, 350, 266, 265, 264, 251 Bhag. 245, 246, 217, 218, 215, 206 Bhag, 205, 201, 194, 193, 192, 191 Village Gadanpur Baddu, Pargana and Tahsil Kannauj, District Kannauj.

It is declared that when by the execution of the Housing and Development Scheme aforesaid any land in the area comprised in the Scheme which may not be required for the execution thereof, will in the opinion of the Board be increased in value, "Betterment fee" in accordance with the provisions of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 shall be payable by the owner of the land and by every person having an interest there in respect of the increase in the value of the land resulting from the execution of the Scheme.

The Map of area, particular of Scheme and details of land proposed to be acquired may be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Unit, Kannauj, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Kannauj any working day between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

Objections for the Scheme shall be received in the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow and its Branch Office of the Executive Engineer, Construction Unit, Kannauj, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Kannauj, within 30 days from the first publication of the notice in the Gazette of Uttar Pradesh Government. Correct name of the Scheme, name of person making objection and full particular of the Land/Building etc. Khasra no. area and name of the village, or other necessary details to be mentioned in every objection.

SAHABUDDIN MOHAMMAD,
Housing Commissioner.

[दिनांक 27-06-2015, 04-07-2015 एवं 11-07-2015 में प्रकाशित]

13 हि.ग.-10-8

कार्यालय, नगर निगम, झांसी

05 जून, 2015 ई०

सं० 87/न०आ०/न०नि०/2015-16-नगर निगम, झांसी सीमान्तर्गत नगर निगम अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली उपविधियां 2012 मा० सदन से स्वीकृत होने के पश्चात् दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" झांसी में दिनांक 23 मई, 2013 को विज्ञापित प्रकाशित कराते हुये उक्त उपविधियों के सम्बन्ध में विज्ञापनकर्ताओं/आम नागरिकों से 30 दिवस का समय देते हुये आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें प्राप्त आपत्तियों को नियमानुसार निस्तारित कर दी गयी, तदनुसार उक्त उपविधियों को उ०प्र० सरकारी गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।

नगर निगम, झांसी (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली उपविधियां)

- 1-(1) यह उपविधियां नगर निगम, झांसी (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) उपविधियां-2012 कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार नगर निगम, झांसी की परिसीमा में होगा।
- (3) यह गजट में प्रकाशित होने का दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषाएं—

- 1-जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में—
 - (एक) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;
 - (दो) "विज्ञापन कर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, सगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है;
 - (तीन) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजन के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निर्माण, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्बे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाती स्थान पर संप्रदर्शित हो;
 - (चार) "विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है;
 - (पांच) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;
 - (छ) "झण्डी" का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं;
 - (सात) "झण्डी प्रतीक" का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो;
 - (आठ) "निगम" का तात्पर्य उ०प्र० के किसी नगर निगम से है;
 - (नौ) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं;
 - (दस) "भू-प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो और जो भूमि पर या किसी खम्बे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो;

- (ग्यारह) "प्रदीप्त प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;
- (बारह) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना, वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो;
- (तेरह) "प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;
- (चौदह) "मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;
- (पन्द्रह) "छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;
- (सोलह) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है;
- (सत्रह) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो;
- (अठारह) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 172 की (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है;
- (उन्नीस) "अस्थायी प्रतीक" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;
- (बीस) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है;
- (इक्कीस) "दीवार प्रतीक" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन का वाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।
- (2) इन उपविधियां में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3-स्थल चयन के लिये समिति का गठन-

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊंचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे-

[एक] नगर आयुक्त	अध्यक्ष
[दो] नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	सदस्य
[तीन] परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य
[चार] अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
[पांच] नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी	सदस्य
[छ:] परिवहन विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
[सात] सचिव, विकास प्राधिकरण	सदस्य
[आठ] उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
[नौ] भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
[दस] निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो।	सचिव

टिप्पणी-नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है जोसा वह उचित समझे।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन कर की समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिये।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर भवन, पुल, नहर, कुटव्य, उपरिगागी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगर की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान वा सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर नहीं प्रतिष्ठापित की जायेगी।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर से 10 मीटर के भीतर नहीं प्रतिष्ठापित की जायेगी।

5-(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट चिह्नित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे पाँच सौ रुपये भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी-

[क] विज्ञापन भवन मुख से सम्बन्धित विज्ञापन को दर्शाने वाली ऊंचाई, यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो सहित लम्बाई, ऊंचाई और भार को दर्शाने पूर्ण विनिर्दिष्ट, जहां इसे परिनिर्मित किया जाना हो, उसके अवस्थित, विनिर्माणकर्ता का नाम और पता तथा जहां प्रयोज्य हो वहां प्रकाश पुंजों की संख्या और उसका वैद्युत विवरण।

[ख] ऐसे प्रपत्र में विज्ञापन भवन मुख से संबंधित विज्ञापन को दर्शाने वाली ऊंचाई यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, सहित 1:500 के पैमाने में चित्रित स्थल पर विज्ञापन की स्थिति को इंगित करके वाले अवस्थान योजना और 1:20 के पैमाने या उसके यथार्थ गुणक में स्याही से या छापीं पर चित्रित पूर्ण विवरण वाला चित्र संलग्न होगा।

[ग] पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

[घ] कोई अन्य विशिष्टियां, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

[ङ] गुबारा विज्ञापनों के मामलों में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा-

[क] विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के अकार का विवरण।

[ख] नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "संरचना अभिकल्प धारा-1 भार, बल और प्रभाव" के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी। ✓

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। ✓

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी। ✓

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस नियमावली के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न होगी।

6-(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि-

[क] अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

[ख] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्भूत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाय और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठित किया गया हो, की ऊंचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 6 मीटर जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

[ग] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

[घ] प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

[ङ] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ✓

[च] विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

[छ] विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

[ज] मार्ग के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

[झ] भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।

[ञ] लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

[ट] विज्ञापन कर्ता नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित इस उपविधियों और विनियमावली का अनुपालन करेगा।

[ठ] विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये।

[ड] भवन से संबंधित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।

[ढ] विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब उपविधि 24 के अनुसार होंगे।

[ण] समस्त विज्ञापन उपविधि 16 "समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षायें" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी।

[त] विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़ पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा। ✓

[क] यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारणों से गिर जाता है।

[ख] यदि कोई परिवर्द्धन, नगर आयुक्त के निदेश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है।

[ग] यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है। ✓

[घ] यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

[ङ] यदि ऐसा भवन या संरचना जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

7-प्रीमियम धनराशि-

(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत करेगा।

(2) न्यूनतम सात दिन का समय मुहर बंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये दिया जाएगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिए।

8-आवंटन समिति-

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम में एक आवंटन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे-

[एक]	अपर नगर आयुक्त	सदस्य
[दो]	निगम का मुख्य अभियन्ता	सदस्य
[तीन]	विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी अधिकारी जो सहायक नगर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न न हो	सचिव

(2) समिति इस उपविधियों में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तदनुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम 28 के अधीन कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापन कर्ता द्वारा निगम को अनुमोदित प्रीमियम की 2 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापन कर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहां नियम-18 के अधीन इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

9-आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार-

नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है-

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुमन्य न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रक्रिया का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्ट कर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदन्यता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

- (ड) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशान्ति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
 (च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत होगा।
 (छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10-अनुज्ञा प्रदान करने की रीति-

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या हस्तान्तरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा-

- (एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,
 (दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

11-अनुज्ञा की अवधि-

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीनीकरण किया जायेगा।

12-विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति-

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इन उपविधियों के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है।

- (एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय और
 (दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिये क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडंडी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा संबन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

13-विज्ञापन पर निर्बन्धन चिपकाया नहीं जायेगा-

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रदर्शित नहीं किया जायेगा संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि।

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर X 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(चार) उपविधि-3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो।

(पांच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पट्टी/पगडंडी पर रखा गया हो।

(छ) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों, और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो।

(आठ) स्थल उपविधि 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संचालित होने या प्रतिषेधित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो।

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दाँयी और मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर।

(तीन) उपविधि 18 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर।

(चार) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

(पांच) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रक के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो।

(छः) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिए परिसंकटमय हो।

(सात) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उसकी दृश्यता बाधित हो।

(आठ) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी—

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा, सूचना यथासमय ताप गौसग या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है।

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता या क्षीण होता हो।

14-भवन के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन—

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमत्य है।

(2) उपविधि-6 और उपविधि-13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊंचाई, नियम-15(ग)(2) के अनुसार होगी।

15-विज्ञापन पट्टों के प्रकार—विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के हैं—

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन

(ख) भू-विज्ञापन

(ग) छत विज्ञापन

(घ) बरामदा विज्ञापन

(ङ) दीवार विज्ञापन

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ज) आकाशीय विज्ञापन

(झ) विविध और अस्थायी विज्ञापन

क-वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन—

क-1-वैद्युत विज्ञापन की सामग्री जहां विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट्ट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

क-2-वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन—

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन के भाग-8 भवन सेवायें धारा-2 विद्युत एवं सामग्री स्थापन, राष्ट्रीय भवन संहिता-2005 के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क-3-लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जायेगा।

क-4-दो मजिल से कम की ऊंचाई पर या गगणद्वी से 05 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो विद्युत साकेद प्रकाश से विघ्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त संस्त विज्ञापन पट्ट अनुचित रूप से अवलम्बित किये जायेंगे। जिससे कि यातायात के नियंत्रण के लिये किन्हीं विज्ञापन पट्ट या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रूप में रोका जा सके।

क-5-गहन प्रदीप्ति-

कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती आवासीय भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।

क-6-परिचालन अवधि-लोकसौहार्द स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में नगर आयुक्त की राय में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।

क-7-चौंधाने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला-

कोई चौंधाने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, परिनिर्मित की जाएगी ताकि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क-8-विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए अनापित्त प्रमाण-पत्र विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त किये जाने चाहिये।

ख-भू-विज्ञापन

ख-1-सामग्री-ढाँचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन, नियम-16 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

ख-2-आयाम-भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग से ऊपर जा सकता है।

ख-3-अवलम्ब और स्थिरक स्थान-प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या विनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख-4-स्थल सफाई-किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख-5-यातायात में आपत्ति-ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख-6-तल निर्बाधन-समस्त भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख-7-भू-चित्रित विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हो वहाँ नियम-16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

ग-छत विज्ञापन

ग-1-सामग्री-नियम-16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियों, अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएँ उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेंगी।

ग-2-आयाम-कोई छत विज्ञापन ऊँचे भवनों पर निम्नलिखित उंचाईयों से अधिक नहीं होगा-

भवन की ऊंचाई	विज्ञापन की ऊंचाई
(क) चार मंजिल या 18 मीटर से अनधिक	20 मीटर
(ख) पाँच से आठ मंजिल या 18 मीटर से अधिक किन्तु 36 मीटर से अनधिक	03 मीटर
(ग) आठ मंजिल से अधिक या 36 मीटर परन्तु ऐसे विज्ञापनों की ऊंचाई की गणना करने में उसी भवन के विभिन्न तलों पर एक दूसरे के ऊपर रखे गये या समतलों पर रखे गये विज्ञापनों को एक विज्ञापन समझा जायेगा, चाहे ऐसे विज्ञापन विभिन्न स्वामियों से सम्बन्धित हो या न हो।	05 मीटर

ग-3-अवस्थिति-

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जायेगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन, किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग-4-क्षेपण- कोई छत विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन के परे क्षेपित नहीं होगा जिस पर यह परिनिर्मित हो या वह छत के उपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

ग-5-अवलम्ब और स्थिरक-प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके उपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जायेगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप से संवितरित होंगे।

ग-6-विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये।

ग-7-चित्रित छत विज्ञापन, नियम-14 समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं जहाँ प्रयोज्य हो, के अनुरूप होंगे।

घ-बरामदा विज्ञापन-

घ-1-सामग्री-प्रत्येक बरामदा विज्ञापन उपविधि-14 (4) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

घ-2-आयाम-कोई बरामदा विज्ञापन ऊँचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटाकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मीटर से अधिक नहीं होगा। इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ-3-संरक्षण-प्रत्येक बरामदा विज्ञापन भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा, इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

घ-4-स्थान-बरांडा पट्टिका को जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगायी जायेगी।

(एक) बरांडा छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) बरांडा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 सेमी0 से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किये हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुंडेरों पर।

घ-5-लटकते हुए बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई-किसी बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरांडा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार से लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो।

घ-6-प्रक्षेपण-घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

1-दीवार विज्ञापन-ड-1 पदार्थ-4 मीटर क्षेत्रफल से अधिक का प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका नियम-14 के उपनियम (4) में दिये गये 'ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग' में यथा उपबन्धित के सिवाय अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

ड-2 (क) परिमाण-किसी दीवार विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 20 मीटर से अधिक नहीं होगी, सड़क के सामने जिधर ऐसी विज्ञापन पट्टिका का सामना पड़ता हो 15 मीटर के भवन, अग्रभाग के संबन्ध में, प्रेक्षागृह या सिनेमा के नाम वाले किसी दीवार, विज्ञापन पट्टिका के मामले को छोड़कर ऐसे विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 200 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(ख) 30 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई दीवार विज्ञापन पट्टिका किसी ऐसी दीवार पर नहीं लगायी जायेगी जो सीधे सड़क के सामने न पड़ती हो परन्तु ऐसी विज्ञापन पट्टिका या विज्ञापन पट्टिकाएं सड़क से दृश्यमान पार्श्व दीवार क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ड-3 कोई भी दीवार विज्ञापन पट्टिका छत दीवार के जिससे वह लगी हो, शिखर के ऊपर या उसके अन्तिम छोर के बहर नहीं निकली होगी। किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पदयात्री

किसी ऐसे दीवार के पास से होकर गुजरते हों, लगी कोई विज्ञापन पट्टिका वहां से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी, जो ऐसे स्थान की सतह से 2.5 मीटर माप की ऊंचाई के भीतर होगी।

ड-4 दीवारों से लगी प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका सुरक्षित रूप से लगी होगी। अवलंब लकड़ी के कुन्दे या स्क्रू-स्टेपल्स या कील के संबन्ध में प्रयुक्त लकड़ी के साथ एवं स्थिरण को लकड़ी की दीवारों से लगी दीवार विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले संलग्न को छोड़कर उचित स्थिरण नहीं माना जायेगा।

च-प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं-

च-1-सामग्री- प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च-2-प्रक्षेपण एवं उंचाई- कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो वहां भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी से ऊपर या भवन आकृति के उस भाग जिससे वह लगी हो के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊंचाई 06 मीटर होगी।

च-3-अवलम्ब एवं संलग्न- प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचालन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियां परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सके। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च-4-अतिरिक्त भार- ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्त में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हो या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिये सक्षम होगी, किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्याधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाल गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगायी जाये इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अरिक्त भार को थाम सके।

छ-शामियाना विज्ञापन पट्टिका-

छ-1-सामग्री- शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

छ-2-लम्बाई- शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज-आकाश विज्ञापन पट्टिका- आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतम ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबन्ध आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

झ-अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएँ, सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएँ, मेला विज्ञापन पट्टिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ-1-प्रकार- 1.2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांडा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरांडा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांडा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

- (घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।
- (ङ) विज्ञापन पट्टिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।
- (च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाईसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।
- (छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग किए गये या प्रयोग किये जाने के लिए आशयित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हों और अधिमानतः 600 मिलीमीटर X 450 मिलीमीटर से अनधिक हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और प्लेट के किसी ब्लाक की दशा में प्रवेश हाल के दीवार या किसी प्लेट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और
- (ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ-2—अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता—

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल, सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएँ सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हों। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में परिनिर्माण के पश्चात् जब तक विस्तारित न किया जाए 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका**—पोल विज्ञापन पट्टिकाएँ पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथार्थिती भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएँ स्ट्रीट लाईन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) **झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएँ**—किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो, सदृश रूप से बनी होंगी और अपने अवलम्ब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबान या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिन की अवधि तक लटकाई जा सकती हैं।

(छ) अधिकतम आकार अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होंगी।

(सात) **प्रक्षेपण**—कपड़ों की अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएँ और तत्समान ज्वलनशील निर्माण, किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेंगी सिवाय उस दशा के जब ऐसा चिन्ह पट्टिकाएँ बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती हैं या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती हैं किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) **विशेष अनुमति**—भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थायी झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बड़े नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थायी इशतहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिये प्रयोग में लाया जायेगा, जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी—मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इशतहार को इशतहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इशतहार और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी जाने जायेंगे।

16-सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएं—(1) भार-विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1 राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आंघी, डे से इस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

(2) कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हों, राष्ट्रीय भवन संहिता-2005 के भाग-8, भवन सेवायें, खण्ड-2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापन की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेंगी।

(3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाईन और स्थान—

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्निशमन प्रायोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजें या खिड़की या द्वार में रुकावट नहीं आनी चाहिये।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रुकावट नहीं आनी चाहिये।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकत्र की जानी चाहिये। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका न लगायी जाये।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिये पट्टिकायें लाईटिंग फिक्सचर से युक्त होनी चाहिये।

(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकायें स्वामाविक सभा-स्थलों पर लगायी जानी चाहिये और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

(च) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुंचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से वर्जन किया जाना चाहिये।

(छ) विज्ञापन पट्टिकायें इस प्रकार लगायी जानी चाहिये जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिये पठनीय बनाने के लिये विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टिकायें लगायी जानी चाहिये या उभरे हुये अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जानी चाहिये।

4-दहनशील पदार्थों का प्रयोग—

(एक) सजावटी विशिष्टता—ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिये जहां अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक के अन्य पदार्थ।

(दो)—विज्ञापन पट्टिका का फलक—विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिये, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिये और विद्युत लाईटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिये और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्वून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिये।

5-विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण—जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटायी चाहे चाहे वह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो, या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल, पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर के संतोषप्रद रूप से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की 5/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुंचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिये।

6-अनुज्ञापत्र के ब्यौरे का प्रदर्शन—अनुज्ञापत्र का ब्यौरा और अनुज्ञापत्र की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17-दुकानों पर विज्ञापन—किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किये जाय तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस नियमावली के अधीन कराधेय नहीं होंगे।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस नियमावली के अधीन कराधेय होगी।

18-मार्गाधिकार के भीतर (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन-उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन-

(एक) अभिकल्प-विज्ञापन फलक की चौड़ाई केन्द्रीय छोर या पगडण्डी आदि पर सड़क प्रकाश खम्भे के स्थान पर निर्भर करेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा। निम्नलिखित प्रकार की व्यवस्था के लिए अनुज्ञा होगा-

(क) व्यवस्था एक-जब मध्य चौड़ाई 1 से 2 मीटर तक हो तो व्यवस्था एक की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(ख) व्यवस्था दो-जब मध्य चौड़ाई 2 मीटर से अधिक हो तो व्यवस्था दो की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(ग) व्यवस्था तीन-जब खम्भा पगडण्डी पर स्थित हो तो व्यवस्था तीन की अनुज्ञा दी जा सकती है।

टिप्पणी-ऊपर चित्रों में प्रदर्शित फलकों के साथ-साथ अतिरिक्त विज्ञापन फलक की अनुज्ञा दी जा सकती है, किन्तु फलकों के मध्य न्यूनतम उर्ध्व निकास 0.5 मीटर का होगा।

(दो) विज्ञापन पट्ट का आकार 0.75 मीटर X 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(तीन) भू-तल ऊपर से विज्ञापन पट्ट के निचले तल न्यूनतम निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होगा।

(चार) निगम द्वारा फ्रेम लगाये जा सकते हैं और नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार अभिकरण द्वारा संप्रदर्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

2-बस सायबानों पर विज्ञापन-

अभिकल्प सायबानों के विज्ञापनों फलक पर, क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबानों पर विज्ञापन पट्ट के आकार निम्नलिखित हैं।

(क) टाइप 1-7.3 मीटर X 0.76 मीटर

(ख) टाइप 2-9.1 मीटर X 0.76 मीटर

(ग) टाइप 3-11.0 मीटर X 0.76 मीटर

3-स्थानों के पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन-

नियम 13 के उप नियम (2) के खण्ड (तीन) के अनुसार यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार के नामों, दूरी व दिशा आदि पेंट करने की अनुज्ञा होगी।

4-यातायात रोटरी क्लब और आईलैण्ड-नगर आयुक्त अभिकरण को यातायात विभाग(राजपत्रित अधिकारी, यातायात प्रभारी) के परामर्श से नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार यातायात रोटरी क्लबों व आईलैण्डों के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। सम्प्रदर्शन पट्ट का आकार यातायात रोटरी क्लब/आईलैण्ड के स्थान और आकार और यातायात की गति पर निर्भर करेगा। किन्तु सम्प्रदर्शन की ऊंचाई रोटरी क्लब/आईलैण्ड की ऊंचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

5-मैदानों/पगडण्डियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ-नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडण्डी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने व उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद को सम्प्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिये नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेंट करने के लिये आवक कर होगा।

6-वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)-नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को सम्प्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

7-पुष्प पात्र स्टैण्ड्स-नगर आयुक्त किसी अधिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 0.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 x 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दो ओर सम्प्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण(विभाजन के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

19-छूट (1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी-

(एक) यदि किसी कार्यालय दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया है।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन सम्प्रदर्शित सभी नोटिसों, पेट्रोल, डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर X 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन या प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रमकार, आमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो परन्तु यह 1.2 मीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम-19 के उप नियम (2) से (5) के अन्तर्गत आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरदायित्व से निमुक्त है।

2-दीवार विज्ञापन पट्ट-नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा-पालन की आवश्यकता नहीं होगी-

(एक) भण्डारण विज्ञापन पट्ट-किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या प्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते हों विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊंचे और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

(दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट-किसी नगरपालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट, जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(तीन) नाम पट्ट-किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

3-भू-विज्ञापन पट्ट-नीचे सूचीबद्ध भू-विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी-

(एक) यात्रा मार्ग निर्देश-किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण या रख-रखाव, जो यात्रा मार्ग लाईन के स्थान, किसी रेल मार्ग, स्टेशन या अन्य सार्वजनिक वाहक को निर्दिष्ट करते हों जब वे क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हों।

(दो) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट-सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों के विज्ञापन बिना अनुज्ञा के अनुज्ञेय हैं। यद्यपि वे नियम-13 के उपनियम (2) में दिये गये सिद्धान्तों के युक्तियुक्त रूप से अनुरूप हों।

क-वर्ग (1) आधारभूत विज्ञापन-

(क)-अपने शासकीय या निर्देशित कर्तव्यों के निष्पादन में किसी लोक या न्यायालय अधिकारी के निर्देशों के द्वारा या अधीन लगाये गये या सम्प्रदर्शित किये गये शासकीय चेतावनी, संकेत, यातायात निर्देश, विज्ञापन स्तम्भ और नोटिसों या विज्ञापन।

उदाहरण- आगे मार्ग विभाजक

(ख) सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर दिशा संकेत यथा-पेट्रोल भरने के स्टेशन, चिकित्सालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, पुलिस स्टेशन और दमकल केन्द्र।

उदाहरण-

चिकित्सालय

बस स्टेशन

(ग) मुख्यतः किसी शहर, नगर, ग्राम या ऐतिहासिक स्थान, समाधि, पर्यटक रुचि स्थल।

एलोरा गुफारं

उदाहरण-

फरीदाबाद नगर

(घ) सशस्त्र सेना के सदस्यों या जनता की सूचना के लिये रक्षा विभाग द्वारा परिनिर्मित विज्ञापन-पट्ट या सूचना-पट्ट आदि।

उदाहरण—

तोपखाना क्षेत्र आगे

(ङ) क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर तक सीमित या उससे कम की सम्पत्ति के अतिचार का प्रतिबन्धित करने से सम्बन्धी विज्ञापन पट्ट।

उदाहरण—

निजी सम्पत्ति, अतिचारी को अभियोजित किया

(च) 0.2 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के विज्ञापन पट्ट या सूचना पट्ट जो इस प्रकार लगाये गये हों कि वे किसी आवास की दिशा को प्रदर्शित करते हों और वे वाहन मार्ग से समुचित दूरी पर लगाये गये हों।

(ख) खण्ड-2 ऐसे परिसरों सम्बन्धित विज्ञापनों जिस पर उन्हें संप्रदर्शित किया जाये।

(क) ऐसी भूमि या भवन, जिस पर विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किया जाये के सम्बन्ध में पहचान, निर्देश या चेतावनी के प्रयोजन के लिये विज्ञापन, किन्तु किसी ऐसे विज्ञापन की दशा में क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर से अधिक न हो :

कदम पर ध्यान

उदाहरण—

मोहन की सम्पत्ति लाल एवं कम्पनी

रुषा किरन

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में विज्ञापन जो ऐसे परिसर पर किसी व्यवसाय, कारोबार या व्यापार चला रहे हों, जहां ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हैं और वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में केवल एक विज्ञापन तक सीमित हो और क्षेत्रफल में 0.3 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण—

रामलाल एवं कम्पनी

(ग) किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन सम्बन्धी, चिकित्सीय या तत्सदृश प्रकृति की किसी संस्था से सम्बन्धित या ऐसी भूमि, जिस पर ऐसा विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किया गया हो, पर स्थित किसी होटल, सार्वजनिक गृह, डाकबंगला, फ्लैट ब्लॉक, क्लब, छात्रावास या होटल से संबंधित विज्ञापन पट्ट जो ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

इंजीनियरिंग कालेज

उदाहरण—

अवकाश गृह

रोटरी क्लब

(ग) खण्ड (3) अस्थायी प्रकृति के विज्ञापन—

(क) ऐसी भूमि, जिस पर विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किये गये हों, के विक्रय या किराये पर देने से सम्बन्धित विज्ञापन ऐसे प्रत्येक विक्रय या किराये पर देने के सम्बन्ध में वह केवल एक विज्ञापन तक सीमित किन्तु वह क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

किराये पर देने हेतु

उदाहरण—

विक्रय हेतु घर

(ख) सामान या पशुधन के विक्रय को घोषित करते हुये विज्ञापन और ऐसी भूमि पर संप्रदर्शित, जहां ऐसे सामान या पशुधन स्थित हों या जहां ऐसा विक्रय किया जाता हो, जो क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अनधिक एक विज्ञापन तक सीमित हो।

उदाहरण—

विक्रय हेतु सदाह

पशु-विक्रय

(ग) ऐसी भूमि पर जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किये जायें, भवन सम्बन्धी या तत्सदृश कार्य किये जाने से सम्बन्धित विज्ञापन जो क्षेत्रफल में 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।
सर्वतक खुदाई प्रगति पर

(घ) किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक या मनोरंजन सम्बन्धी प्रकृति के किसी स्थानीय घटना जो ऐसा कार्यकलाप न हो जिसे व्यावसायिक प्रयोजन के लिये प्रोन्नत किया या चलाया जा रहा हो, की घोषणा करता हुआ विज्ञापन जो किसी परिसर पर 0.6 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र अध्यासित करने वाले विज्ञापन पट्ट के प्रदर्शन तक सीमित हो।

उदाहरण-

दीवाली मेला
पुष्प प्रदर्शनी

4-अस्थाई विज्ञापन पट्ट-

(एक) निर्माण स्थल संकेत-निर्माण संकेत इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य सामान संकेत जो निर्माण अभियान (अनुसूची-3 देखें) के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत-अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी पारिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है (नियम-15अ(2)) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिये आवश्यकता देखिए।

5-अनुसूची-3 में दिये गये विज्ञापन पट्टों की गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं के लिये किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

20-विशेष विज्ञापन (1) यदि अनुसूची-2, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे निबन्ध एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2)-प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21-विशेष विज्ञापन का क्षेत्र (1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस नियमावली में निर्बन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाए। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगी, जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था का नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि "ज्वेलर्स", "कैफे", "डॉसिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा, या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या किसी प्रकार की सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियन्त्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) में दिये गये, के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

22-निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा-निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, विपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करें।

23-ईकाइयों पर रोक (1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी या प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाए और वह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनष्ट कर सकता है।

24-सर्वेक्षण और निरीक्षण (1) अनुसूचना-सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों बंधनी रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगाने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था- प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण-प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पचास वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

25-प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति-नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज पर्यवेक्षण माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत को या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) सदेव समुचित ध्यान दिया जायेगा जिससे कि ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं से स्पर्धा किया जा सके, जिसके लिये प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं के लिये प्रवेश दिया जाये।

26-कर भुगतान की रीति-अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर एकल किरत में संदेह होगा, जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

27-विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर के वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा-

(एक) सर्वोच्चत वर्ग

(दो) 'क' वर्ग

(तीन) 'ख' वर्ग

(चार) 'ग' वर्ग

28-हटाने जाने की लागत-नियम-12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने का साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी-

(क) 6.1 मीटर x 3.05 मीटर या उससे कम के किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की लागत 5,000 रुपये

(ख) ऊपर खण्ड(क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत 8,000 रुपये

(ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत 2,000 रुपये

(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत 10,000 रुपये

29-अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन (1) इस नियमावली के उपबंधों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपविधि (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उपविधियों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

प्रपत्र संख्या
मूल्य रु0 500.00
अनुसूची-1

पासपोर्ट
फोटो

(नियम-5(1)) देखें

विज्ञापन और चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

- 1-आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम/पिता का नाम
- 2-अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम
- 3-पता
- 4-आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार
- 5-आवेदित विज्ञापन या पट्ट का आकार
- 6-आवेदित स्थल नक्शा सहित अवस्थिति
- 7-भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम व विवरण
- 8-क्या स्थल सार्वजनिक है या व्यक्तिगत
- 9-(एक) यदि व्यक्तिगत है तो स्वामित्व का प्रमाण व स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाय।
(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र, कि कर की चूक की दशा में विज्ञापनकर्ता को विज्ञापनकर्ता के द्वारा देय कर का भुगतान का वह दायी होगा।
(तीन) मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।
- 10-(एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक कर।
(दो) किस्त की धनराशि।
- 1-अन्य विवरण
दिनांक
संलग्नक

आवेदक के हस्ताक्षर।

नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग्स) के विज्ञापन हेतु श्रेणीवार चिह्नित स्थलों का विवरण निम्नलिखित है-

1-श्रेणी-ए-

- (1) जीवनशाह तिराहा से बी0के0डी0 चौराहा के पहले तक सड़क के दोनों ओर, बी0के0डी0 चौराहा (एम0पी0 डिपो तक, वर्धमान स्टील तक, बी0के0डी0 कालेज के अन्तिम दीवार तक) मुन्नालाल पावर हाउस से रेलवे क्रासिंग तक सड़क के दोनों ओर। ग्वालियर रोड रेलवे क्रासिंग से बड़ा पुल तक सड़क के दोनों ओर आई0टी0आई0 रोड। बड़ा पुल से करारी तक सड़क के दोनों ओर।
- (2) ध्यान चन्द्र स्टेडियम से चित्रा चौराहा के पहले तक सड़क के दोनों ओर अशोक होटल तिराहा से सम्राट होटल के पहले पुलिया तक सड़क के बायीं ओर।
- (3) चित्रा चौराहा (सम्राट होटल के पहले पुलिया तक, रेलवे पक्का पुल पावर हाउस तक, तुलसी होटल तक)।
- (4) शिवपुरी रोड पर सीपरी रेलवे पक्का पुल से नन्दनपुरा तिराहा तक सड़क के बायीं ओर, नगरा हाट, प्रेम नगर थाने के पास। शिवपुरी रोड पर नन्दनपुरा तिराहा से पहुंच नदी होते हुए नगर निगम सीमा के अन्तिम छोर तक सड़क के दोनों ओर।
- (5) नवाबाद थाने से जेल चौराहा होते हुए कचहरी चौराहा तक सड़क के दोनों ओर। शिक्षा भवन से रिसाला चुंगी तक कानपुर रोड सड़क के दोनों ओर। रिसाला चुंगी से बाईं पास तिराहा तक कानपुर रोड सड़क के दोनों ओर व वीरगंगा नगर आर0टी0ओ0 कार्यालय के पास। बाईं पास तिराहा से कौछाभांवर नगर निगम की अन्तिम सीमा तक, कानपुर रोड सड़क के दोनों ओर।

- (6) कानपुर रोड बाई पास तिराहा से ग्वालियर रोड बाई पास तिराहा तक सड़क के दोनों ओर।
- (7) रिसाला चुंगी से भगवतपुरा नगर निगम की अन्तिम सीमा तक सड़क के दोनों ओर मऊरानीपुर रोड।
- (8) जेल चौराहा से हंसारी पावर हाउस तक सड़क के दोनों ओर ललितपुर रोड हंसारी पावर हाउस से बिजौली, राजगढ़ नगर निगम की अन्तिम सीमा तक सड़क के दोनों ओर ललितपुर रोड।
- (9) जेल चौराहा से गोविन्द चौराहा, गोविन्द चौराहा से कचहरी, चौराहा के पहले तक, गोविन्द चौराहा से मिर्नवा चौराहा तक। मिर्नवा चौराहा से कोतवाली, मिर्नवा चौराहा से रिन्धी तिराहा से कोतवाली पचकुईयां चौराहा से तहसील, एस०पी०आई० तक, खण्डेरावगेट से बी०के०डी० चौराहा के पहले वर्धमान स्टील तक सड़क के दोनों ओर।
- (10) सीपरी बाजार आर्यकन्या-कालेज चौराहे के पास आर्यकन्या कालेज की दीवार के किनारे गोदू कम्पाउण्ड, कारगिल पार्क के पास, टण्डन रोड, जर्मनी हास्पिटल के पास, सरस्वती इण्टर कालेज के सामने प्रेमगंज।
- (11) यात्रिक होटल से इलाहाबाद बैंक चौराहा, इलाहाबाद बैंक चौराहा से स्टेशन रोड इलाहाबाद बैंक चौराहा से सदर बाजार चौराहा, सदर बाजार चौराहा से कचहरी चौराहा, अशोक होटल से स्टेशन रोड, चन्द्रशेखर आजाद मूर्ति से स्टेशन रोड।

2-होर्डिंग्स श्रेणी बी-श्रेणी ए में अन्तिम स्थलों को छोड़कर शेष अन्य जगह पर लगाने वाले होर्डिंग्स।

निजी भवनों पर होर्डिंग्स

श्रेणी ए क्रम संख्या 01 की भांति मान्य

कियास्क हेतु चिन्हित स्थलों की श्रेणी

श्रेणी ए क्रम संख्या 01 की भांति मान्य

ग्लोसाइन हेतु चिन्हित स्थलों की श्रेणी

श्रेणी ए क्रम संख्या 01 की भांति मान्य

प्रतिबन्धित स्थल-

- (1) जिलाधिकारी, झांसी कार्यालय के निकास द्वार वाली रोड पर।
- (2) इलाईट चौराहा।
- (3) जजशिप, झांसी के निकास द्वार।
- (4) जिला जज, झांसी के आवास के बाउण्ड्रीवाल की तरफ।
- (5) बी०के०डी० सेन्ट्रल बैंक से ध्यानचन्द्र स्टेडियम के सामने तक रोड के दोनों ओर।
- (6) कोई भी विज्ञापन सरकारी/अर्द्ध सरकारी परिसर में, दीवारों में, रेलिंग में नहीं लगाया जायेगा।
- (7) पार्कों के अन्दर व बाहर।

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर कर की दरें नगर निगम झांसी द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि, दीवाल, भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए नगर निगम, झांसी की अन्तिम निर्धारित दरें-

क्र०सं०	विज्ञापन पट्ट	निर्धारित दरें
1	होर्डिंग्स	ए श्रेणी रु० 85 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष। बी श्रेणी रु० 70 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष। नोट-विद्युत/इलेक्ट्रानिक प्रकाश द्वारा प्रतिबिम्बित होने की स्थिति में 50 प्रतिशत अतिरिक्त दर देय होगी।

2	निजी भवन पर होर्डिंग्स/कोई भी विज्ञापन पट	ए श्रेणी रु० 80 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष। बी श्रेणी रु० 65 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष।
3	कियास्क	ए श्रेणी रु० 250 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष। बी श्रेणी रु० 150 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष।
4	बैनर (3x6 वर्गफुट)	रु० 50 प्रति बैनर, उससे साइज के बैनरों में आनुपातिक वृद्धि की जायेगी।
5	पोस्टर	रु० 400 प्रति सैकड़ा प्रतिवर्ष।
6	वाल पेंटिंग	रु० 150 प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष।
7	शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)	हल्का वाहन रु० 5,000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन। भारी वाहन रु० 20,000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन।
8	सड़क प्रदर्शन पट पर	तीन पहिया वाहन रु० 50 प्रति वाहन प्रतिदिन। चार पहिया वाहन रु० 500 प्रति वाहन प्रतिदिन। छः पहिया वाहन रु० 1,000 प्रति वाहन प्रतिदिन।
9	पर्चा	रु० 600 प्रति हजार।
10	विद्युत या इलेक्ट्रानिक्स (ग्लोसाइन) या संदेश चिन्हों सहित प्रति चिन्ह दर सार्वजनिक स्थलों/निजी सम्पत्तियों पर सार्वजनिक प्रदर्शन पट्ट पर	ए श्रेणी रु० 150 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष। बी श्रेणी रु० 120 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष।
11	गुब्बारा/छतरी	रु० 500 प्रतिदिन।
12	एक स्तम्भ (यूनिपोल/गैण्ट्री)	रु० 130 (प्रति वर्गफुट) प्रतिवर्ष।

नोट-1-इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के तीन वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि तीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

2-स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्धि की गणना के उद्देश्य से रुपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।

3-नियम (26) के प्रविधानों के अधीन कर अग्रिम रूप से सन्देश योग्य होगा।

4-यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती है, तो अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

5-यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है, तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किस्त में वसूला जायेगा।

6-कर के सभी अवशेष नगर निगम अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

अरुण प्रकाश,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, झांसी।

कार्यालय, नगर पंचायत, परशदेपुर, जनपद रायबरेली

18 जून, 2015 ई0

सं0 568/अधि0अधि0/उपविधि/2014-15-नगर पंचायत, परशदेपुर, जनपद रायबरेली द्वारा म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 131-153 एवं 128(1)13(ख) एवं 128 के साथ पठित धारा 299 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नगर पंचायत परशदेपुर, जनपद रायबरेली ने अपनी सीमा के अन्दर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाने/विनियमित करने एवं नियन्त्रित करने हेतु नियमावली बनायी है। नियमों का प्रारूप उपनियम की धारा 300 की उपधारा(1) के अपेक्षानुसार सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के सुझाव तथा आपत्तियाँ 'दैनिक जागरण' समाचार-पत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2015 को सूचना प्रकाशित कराकर अध्यक्ष महोदय द्वारा अंगीकार किया जा चुका है। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है।

अतः उपर्युक्त अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाने/विनियमित करने एवं नियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नियमावली

1-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति-(1) यह नियमावली नगर पंचायत परशदेपुर, जनपद रायबरेली नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्ताक्षर लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली नगर पंचायत परशदेपुर सीमान्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषाये-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) से है;

(ख) 'नगर' का तात्पर्य परशदेपुर नगर से है;

(ग) 'शुल्क' का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है;

(घ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, 1899) से है;

(ङ) 'नगर पंचायत' का तात्पर्य नगर पंचायत, परशदेपुर से है;

(च) 'अधिशाली अधिकारी' का तात्पर्य नगर पंचायत, परशदेपुर से है;

(छ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य नगर पंचायत, परशदेपुर के अध्यक्ष से है;

(ज) 'कर' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (14-ख) के अधीन लगाये गये कर से है;

(झ) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बंधक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मूल्य बढ़ा लिया जायेगा।

3-कर उगाहने की प्रक्रिया-उक्त वृद्धि के फलस्वरूप वसूली गयी समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को यदि कोई हो कटौती के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी-

(1) जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिए प्रस्तुत किया जाये तो, निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट की धारा 27 में निर्दिष्ट ब्यौरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् दिये गये हैं-

(अ) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति, और

(ब) नगर के बाहर स्थित अचल सम्पत्ति।

(2) यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् न दिये गये हों तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128 (फ) की उपधारा (4) द्वारा नगर पंचायत पर यथा प्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

4-कर के लेखे रखना-निबन्धन अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् लेखा रखेगा जिसमें वह शुल्क और कर का उल्लेख करेगा।

5-निबन्धन अधिकारी, भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की उपधारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का लेखा उरी प्रकार रखेंगे।

6-निबन्धन अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर के महीनों में पृथक्-पृथक् तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेंगे, जिससे वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूली गयी धनराशि लिखेगा और उसे जिता निबन्धन अधिकारी को उपरोक्त प्रत्येक महीने के पांचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

7-ज़िला निबन्धन अधिकारी ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तिमाही विवरण-पत्रों की प्रतियां निम्नांकित को भेजेगा।

- 1-निबन्धन महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2-कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3-अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत, परशदेपुर, रायबरेली।
- 4-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

8-(1) नगर पंचायत की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत को लौटा दी जायेगी। प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिशाली अधिकारी प्रत्येक तिमाही के अन्त में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को फाइनेशियल हैंड बुक खण्ड-5 भाग 1 के प्रपत्र संख्या 19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा। कनिष्ठ सचिव, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशाली अधिकारी को लौटा दी जायेगी जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेगा।

(2) नगर पंचायत निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगी, जो कि नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

9-अभिलेखों का निरीक्षण-अधिशाली अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 229 (1) के द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत परशदेपुर, जनपद रायबरेली यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड लिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा और ऐसा भंग निरन्तर किया जाय तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिरामें अपराधी का अपराध करना सिद्ध हो, पच्चीस रुपये तक हो सकेगा।

ह० (अस्पष्ट),

अध्यक्ष,

नगर पंचायत परशदेपुर,
जनपद रायबरेली।

पत्नी का शिवमणि त्रिपाठी एवं उनकी पत्नी एवं उनके परिवार से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।

बीरेन्द्र मणि त्रिपाठी,
श्रीमती मुन्नी त्रिपाठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मो० रसूल वक्स मो० शाबान, स्टेशन रोड, मऊआइगा पर स्थित है। फर्म उपरोक्त में 1-कैसर परवेज, 2-अब्दुल जब्बार, 3-मो० शाहनवाज, 4-खुशनूद साझेदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 1-मो० शाहनवाज, 2-खुशनूद फर्म उपरोक्त से अलग हो गये हैं। वर्तमान में 1-कैसर परवेज, 2-अब्दुल जब्बार साझेदार के रूप में हैं।

कैसर परवेज,

रसूल वक्स मो० शाबान,
स्टेशन रोड, मऊआइगा, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मो० महालक्ष्मी इण्टरप्राइजेज, 119 चौहान कालोनी, अशोक नगर, इटावा का दिनांक 31 मार्च, 2014 को विघटन हो गया है। दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से उपरोक्त फर्म प्रोपराइटरशिप में कार्य करेगी। फर्म में प्रथम पक्षकार अम्बरीश प्रताप सिंह फर्म के प्रोपराइटर होंगे।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गयी हैं।

अम्बरीश प्रताप सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकर लाल एवं महेन्द्र कुमार पाटकार पुत्र श्री शंकर लाल पाटकार मु० जोशियाना, जालौन, एक ही व्यक्ति के नाम हैं। सभी प्रकार के अभिलेखों में महेन्द्र कुमार पाटकार पुत्र श्री शंकर लाल पाटकार ही जाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

महेन्द्र कुमार पाटकार,

पुत्र श्री शंकर लाल पाटकार,
मु० जोशियाना, जालौन (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बीरेन्द्र मणि त्रिपाठी पुत्र स्व० गोरखनाथ त्रिपाठी एवं मेरी पत्नी श्रीमती मुन्नी त्रिपाठी, निवासी 1/146, सेक्टर एल०, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ अपने छोटे पुत्र शिवमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णम त्रिपाठी उर्फ कुरुमावली व उनका पुत्र अतुल्य त्रिपाठी उर्फ मनु के आचरण से क्षुब्ध होकर अपने पूर्ण होशोहवास में, बिना किसी दबाव के अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल करती हैं एवं आज से मेरा व मेरी

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी फर्म मेसर्स मां भवानी कान्स्ट्रक्शन, 1015 लोधवारी कोठी, रायबरेली, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 198006, पत्रांक संख्या 12269, दिनांक 16 जनवरी, 2014 है, में दो पार्टनर रहे हैं, जिसमें रणन्जय सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह, निवासी महमूद, कठवारा, हरचन्दपुर, रायबरेली, दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को फर्म की पार्टनरशिप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रभावी दिनांक से फर्म की किसी भी गतिविधियों से उपरोक्त का कोई सम्बन्ध नहीं है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

साहब देवी,

पार्टनर-मे0 मां भवानी कान्स्ट्रक्शन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी फर्म मे0 शीर्ष इण्टर प्राइजेज 403, सरस भवन, निराला नगर, रायबरेली, जिसका रजि0 संख्या 637, पत्रांक संख्या 11958, दिनांक 05 फरवरी, 2009 है, में तीन पार्टनर खगेश नाथ श्रीवास्तव, अनुज कुमार श्रीवास्तव एवं विलोक नाथ श्रीवास्तव रहे हैं। जिसमें खगेश नाथ श्रीवास्तव एवं अनुज कुमार श्रीवास्तव दिनांक 31 मार्च, 2015 को फर्म की पार्टनरशिप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं फर्म सुचारुता हेतु श्रीमती कविता श्रीवास्तव फर्म की पार्टनरशिप में सम्मिलित की गयी हैं।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विलोक नाथ श्रीवास्तव,

पार्टनर-मे0 शीर्ष इण्टर प्राइजेज।

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ**बोर्ड, लखनऊ****अधिसूचना**

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वक्फ मदरसा इमदादुस्सलाम वक्फ संख्या 206 मेरठ के बोर्ड द्वारा नियुक्त मुतवल्ली श्री हाजी शेख सबीहउद्दीन द्वारा में गार्डेनिया स्टेट, स्थित नूर नगर, मेरठ सिटी के तीन किता फ्लैट जिनका समस्त विवरण निम्नवत् है को उक्त वक्फ के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है—

1-2/बी0एच0के0 ग्राउण्ड फ्लोर — रू0 17,58,750.07 में

2-2/बी0एच0के0 प्रथम फ्लोर — रू0 16,19,929.45 में

3-2/बी0एच0के0 द्वितीय फ्लोर — रू0 16,76,929.45 में

अतः इस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सर्वसाधारण से आपत्तियां आमन्त्रित की जाती हैं और यदि इस

सम्बन्ध में पन्द्रह दिवस के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में किसी को कोई एतराज नहीं है तथा तदानुसार उक्त सम्पत्तियों को क्रय की अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की जायेगी।

ताजदार आलम,

अधिसूचना अधिकारी/स्थापना प्रभारी।

**उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ
बोर्ड, लखनऊ
अधिसूचना**

वक्फ दरगाह सैय्यद महबूब आलम वक्फ संख्या 68 रायबरेली को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 65(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के सीधे नियंत्रण में लिया जाता है तथा श्री राफे राना, निदेशक, उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लिमिटेड, निवासी शेखवाड़ा, किला बाजार, रायबरेली को उक्त वक्फ का तीन वर्ष की अवधि या अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो नियंत्रक नियुक्त किया जाता है।

जुफर अहमद फारूकी,
अध्यक्ष।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मे0 एल0बी0 कन्स्ट्रक्शन, अम्बेडकरनगर राबर्टसगंज, सोनभद्र में है जिसमें चार साझीदार क्रमशः श्रीमती प्यारी देवी, रत्नेश चन्द्र गुप्ता, मदन मोहन मौर्य व प्रदीप कुमार रिटायर हो गये हैं तथा पुनः श्री अलख नारायण कुशवाहा बतौर साझीदार फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। फर्म में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। पूर्व के साझीदारों से कोई लेना-देना शेष नहीं है।

पार्टनर,

लाल बहादुर गौर्य।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओम इण्टर प्राइजेज, पता साधोपुर उर्फ रागपुर, रेवतीपुर, जिला गाजीपुर में तीन पार्टनर क्रमशः श्री युधिष्ठिर राय, श्री राम विलास राय एवं श्री वैजनाथ राय हैं। जिसमें से श्री राम विलास राय पुत्र स्व0 श्याम बरन राय की मृत्यु दिनांक 14 दिसम्बर, 2014 ई0 को हो गयी थी। अतः अब उक्त फर्म में केवल दो ही पार्टनर रहेंगे जिनके नाम क्रमशः श्री युधिष्ठिर राय एवं श्री वैजनाथ राय हैं।

युधिष्ठिर राय,

पार्टनर ओम इण्टर प्राइजेज,
पता-साधोपुर उर्फ रागपुर, रेवतीपुर,
जिला गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सर जान फूड्स, पता जी०-228, से०-63, नोएडा में कुल तीन पार्टनर थे। जो निम्न प्रकार हैं—1—श्री उमा शंकर वर्मा पुत्र स्व० प्यारे शर्मा, 2—श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री जगदेव प्रसाद, 3—श्रीमती पुनीता गुप्ता पत्नी श्री मनोज गुप्ता, जिसमें से दो पार्टनर 1—उमा शंकर वर्मा, 2—श्रीमती पुनीता गुप्ता फर्म से अलग हो गये हैं। इनका सभी प्रकार का लेन-देन पूरा हो गया है तथा भविष्य में इनका फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा और इनके स्थान पर एक पार्टनर श्री गौतम सोनी आ गये हैं तथा वर्तमान में दो पार्टनर फर्म का संचालन करेंगे। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—1—श्री अभिषेक कुमार, 2—श्री गौतम सोनी तथा इस फर्म में हिस्सा साझेदारों में निश्चित किये गये अनुपात में ही बांटा जायेगा।

पार्टनर,

अभिषेक कुमार,

मे० सर जान फूड्स जी०-228,

सेक्टर 63, नोएडा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म साई प्लानर एण्ड डेवलपर्स एसोसिएट में शामिल

साझेदार शशान्त कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र के स्थान पर शशान्त कुमार सिंह पुत्र रमेश चन्द्र सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन उ०प्र० गजट 20 जून, 2015 में त्रुटिवश हो गया है। शशान्त कुमार सिंह पुत्र रमेश चन्द्र के स्थान पर शशान्त कुमार पुत्र रमेश चन्द्र होना चाहिए था। अतः फर्म के साझेदार के रूप में शशान्त कुमार सिंह पुत्र रमेश चन्द्र के स्थान पर शशान्त कुमार पुत्र रमेश चन्द्र पढ़ा व समझा जाये।

मनोज कुमार सिंह।

सूचना

मेरे पुत्र अर्चित कुमार के कक्षा 10 सन् 2014, अनुक्रमांक 5120839 विद्यालय इर्विंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र में पिता का नाम अखिलेश कुमार अंकित है, जो गलत है। जबकि सही नाम अखिलेश कुमार चौरसिया है। अतः पिता का नाम अखिलेश कुमार चौरसिया जाना व पढ़ा जाये। अखिलेश कुमार चौरसिया पुत्र स्व० आजाद कुमार चौरसिया, निवासी नई बस्ती, मुगलसराय।

अखिलेश कुमार चौरसिया।